

## CHAPTER X CLAIMS TRIBUNAL

**10.1. Definitions.**— In this chapter unless there is anything repugnant in the subject or the context—

- (a) "*Claims Tribunal*" means a Motor Accident's Claims Tribunal constituted under Section 165 of the Act,
- (b) "*Legal Representatives*" shall mean meaning assigned it under clause (11) of Section 6 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908).

**10.2. Application for Compensation arising out of an accident.**— (1) Any application for the compensation arising out of the accident of the nature specified under this Act shall be made to the Claims Tribunal, having jurisdiction over the area in which the accident occurred, which shall be in Form R.S. 10.1 and shall contain the particulars specified in that form.

(2) Every such application shall be sent to the Claims Tribunal or the Chairman, in case the Tribunal consists of more than one member by registered post or may be presented to such Claims Tribunal shall, unless the Claims Tribunal or the Chairman otherwise directs, be made in duplicate and shall be signed by the applicant.

(3) There shall be appended to every such application, the following documents, namely:—

- (i) Medical Certificate in Form RS 10.2 or in case of death Post Mortem Report or Death Certificate;
- (ii) First Information Report in respect of accident; and
- (iii) Certificate regarding Report ownership and insurance particulars of the vehicle involved in accident from the Registering Authority or the Police.

(4) The officer-in-charge of the Police Station shall, on demand by the person, who wishes to make an application for compensation and who is involved in accidents arising or of the use of the motor vehicle or legal successors of the deceased, shall furnish to him such time as may be specified by the Central Government by the Rules made under Chapter XI of the Act.

(5) If any of the documents specified in sub-rule (3) are not appended to the application, the reasons for not appended to the application, the reasons for not appending them/that shall be stated, and if the Tribunal is satisfied, it may proceed with the application and require production of such documents at later stage.

**10.3. Application for the Compensation under Section 140 of the Act.**—

(1) Notwithstanding anything contained in rule 10.2 every application for the claims under Section 140 shall be filed before the Claims Tribunal in triplicate, and shall be signed by the applicant and the following documents shall be appended to every such application, namely:—

- (i) Panchnama of the accident;
- (ii) First Information Report;
- (iii) Medical Certificate in Form R.S. 10.2 or in case of death, Post Mortem Report or Death Certificate;

अध्याय-10

दावा अधिकरण

10.1. परिभाषायें.— इस अध्याय में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई अन्यथा न हो—

- (क) "दावा अधिकरण" से अधिनियम की धारा 165 के अधीन गठित कोई मोटर दुर्घटना का दावा अधिकरण अभिप्रेत है।
- (ख) "विधिक प्रतिनिधि" से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 6 के खण्ड (11) के अधीन इसे दिया गया अर्थ अभिप्रेत है।

10.2. दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर के लिये आवेदन.— (1) इस अधिनियम के अधीन वर्णित स्वरूप की दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर के लिये आवेदन दावा अधिकरण की, जो इस क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है, जिसमें वह दुर्घटना घटित हुई है, किया जायेगा, जो प्ररूप आर.एस. 10.1 में होगा और उसमें उस प्ररूप में दिये गये विवरण होंगे।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन दावा अधिकरण को या एक से अधिक सदस्यों वाले अधिकरण की दशा में अध्यक्ष को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जायेगा या ऐसे अधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा। जब तक दावा अधिकरण या अध्यक्ष कोई निर्देश न दे, वह दो प्रतियों में दिया जायेगा और प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात्:—

- (i) प्ररूप आर.एस. 10.2 में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या मृत्यु के मामले में अन्त्य परीक्षा रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण-पत्र;
- (ii) दुर्घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट; और
- (iii) दुर्घटना में अन्तर्वलित यान के स्वामित्व और बीमा विवरण के बारे में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या पुलिस से प्रमाण-पत्र

(4) पुलिस स्टेशन पर भार साधक अधिकारी, उस व्यक्ति की मांग पर जो प्रतिकर के लिये आवेदन करना चाहता है और जो मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना में अन्तर्वलित है या मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों की मांग पर उसे अधिनियम की धारा 160 में वर्णित ऐसी सूचना और विशिष्टियां उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अध्याय XI के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर देगा।

(5) यदि उप-नियम (3) में वर्णित दस्तावेजों में से कोई आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, तो अधिकरण न करने के कारण बताये जायेंगे और यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है, तो वह अधिकरण कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे दस्तावेज बाद में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

10.3. अधिनियम की धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिये आवेदन.— (1) नियम 10.2 में वर्णित स्वरूप की दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर के लिये आवेदन दावा अधिकरण के समक्ष, तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और ऐसे आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात्:—

- (i) दुर्घटना का पंचनामा;
- (ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट;
- (iii) प्ररूप आर.एस. 10.2 में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या मृत्यु की दशा में अन्त्य परीक्षा रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(iv) A certificate regarding ownership and insurance particulars of vehicle involved in the accident from Registering Authority or the Police, and

(2) If any of the documents specified in sub-rule (1) are not appended to the application, the reasons for not appending them shall be stated, and if the Tribunal is satisfied, it may proceed with the application, and require production thereof at a later stage.

**10.4. Production of Passport Size Photograph by applicant.**— Notwithstanding anything contained in rule 10.2. or rule 10.3, the Claims Tribunal may require the applicant to produce a passport size photograph, which shall be attested by an advocate. The photograph shall either be affixed to the original application or affixed to a separate sheet or paper, which shall be fastened to the original application.

**10.5. Fees.**— (1) Every application made under these rules for payment of compensation shall be accompanied by a fee of Rs. 10/- in the form of Court Fee Stamps.

(2) The Claims Tribunal may in its discretion exempt a party from the payment of fee prescribed under sub-rule (1) :

Provided that where a claim of a party has been accepted by the Claims Tribunal, the party shall have to pay the prescribed fee exemption in respect of which has been granted initially before a copy of the judgment is obtained.

**10.6. Examinations of applicant.**— On receipt of an application under rule 10.2/10.3, the Claims Tribunal may examine the applicant on oath, and the substance of such examination, if any, shall be reduced to writing and shall be signed by the Member constituting the Claims Tribunal or as the case may be, the Chairman.

**10.7. Summary Disposal of Application.**— The Claims Tribunal may, after considering the application and the statement, if any, of the applicant recorded under rule dismiss, the application summarily, if for reasons to be recorded in writing, the Claims Tribunal is of an opinion that there are no sufficient grounds for proceeding therewith :

Provided that the Claims Tribunal shall not reject the application made for compensation under Section 140 of the Act, on the grounds of any technical defects, but shall give notice to the applicant and get the defects rectified.

**10.8. Notice to the Parties involved.**— (1) If the application is not dismissed under rule 10.7, the Claims Tribunal shall send to the owner or the driver of the vehicle or both from whom the applicant claims relief and the insurer, a copy of the application, and may call upon the parties to produce on that date any evidence which they may wish to tender.

(2) Where the applicant makes a claim for compensation under Section 140 of the Act, the Claims Tribunal shall give notice to the owner and insurer, if any, of the vehicle involved in the accident directing them to appear on the date, not later than fifteen days from the date of issue of such notice. The date so fixed for such appearance shall also be not later than fifteen days from the receipt of the claim application filed by the Claimant. The Claims Tribunal shall state in such notice that in case they fail to appear on such appointed date, the Claims Tribunal shall proceed ex parte on the presumption that they have no contention to make against the award of compensation.

(iv) दुर्घटना में अन्तर्वलित यान के स्वामित्व और बीमा विवरण के बारे में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या पुलिस से एक प्रमाण-पत्र, और

(2) यदि उप-नियम (1) में वर्णित दस्तावेजों में से कोई आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, तो उनको संलग्न न करने के कारण बताये जायेंगे और यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है, तो वह आवेदन पर आगे कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे दस्तावेज बाद में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

**10.4. आवेदक द्वारा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना.**— नियम 10.2 या नियम 10.3 में किसी बात के होते हुए भी, दावा अधिकरण आवेदक से पासपोर्ट साइज का फोटो प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो किसी एडवोकेट द्वारा सत्यापित होगा। इस फोटोग्राफ को या तो मूल आवेदन पर चिपकाया जायेगा या कागज को अलग शीट पर, जिसे मूल आवेदन के साथ बांध दिया जायेगा।

**10.5. फीस.**— (1) इन नियमों के अधीन प्रतिकर का भुगतान करने के लिये किये गये आवेदन के साथ रु. 10/- न्यायालय शुल्क के मुद्रांक के रूप में होंगे।

(2) दावा अधिकरण, अपने विवेक से, किसी पक्षकार को उप-नियम (1) में विहित फीस के संदाय में छूट दे सकेगा:

परन्तु जहां किसी पक्षकार का दावा दावा अधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तो उस पक्षकार को उस विहित फीस का संदाय निर्णय की प्रति प्राप्त करने के पहले करना होगा, जिसके बारे में आरम्भ में छूट दे दी गई थी।

**10.6. आवेदक की परीक्षा.**— नियम 10.2/10.3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, दावा अधिकरण आवेदक की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और ऐसी परीक्षा का, यदि कोई हो, सारांश लिख लिया जायेगा और दावा अधिकरण के सदस्य या, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

**10.7. आवेदन का संक्षिप्त निपटारा.**— दावा अधिकरण आवेदन और नियम के अधीन अभिलिखित आवेदक के बयान, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद आवेदन को संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकेगा, यदि दावा अधिकरण का यह अभिमत है कि आगे कार्यवाही करने के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं है, जिसके कारण लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे:

परन्तु अधिनियम की धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिये किये गये आवेदन को दावा अधिकरण किन्हीं तकनीकी दोषों के आधारों पर अस्वीकार नहीं करेगा, परन्तु आवेदक को एक नोटिस देगा और दोषों को दूर करवायेगा।

**10.8. अन्तर्वलित पक्षकारों को नोटिस.**— (1) यदि आवेदन को नियम 10.7 के अधीन खारिज नहीं किया जाता है, तो दावा अधिकरण यान के स्वामी या चालक या दोनों को जिनसे आवेदक राहत की मांग करता है और बीमाकर्ता को आवेदन की एक प्रति उस दिनांक के नोटिस के साथ भेजेगा, जिसको वह उस आवेदन का निपटारा करेगा और पक्षकारों को उस दिनांक पर कोई साक्ष्य, जो वे देना चाहते हैं, प्रस्तुत करने के लिये बुलवा सकेगा।

(2) जहां आवेदक अधिनियम की धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिये दावा करता है, तो दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्वलित यान के स्वामी और बीमाकर्ता, यदि कोई हो, को उस दिनांक पर उपस्थित होने के लिये एक नोटिस देगा, जो ऐसे नोटिस जारी होने की दिनांक से पन्द्रह दिन से बाद की नहीं होगी। ऐसी उपस्थिति के लिये इस प्रकार नियत दिनांक दावेदार द्वारा प्रस्तुत दावे का आवेदन प्राप्त होने से पन्द्रह दिन से बाद की नहीं होगी। दावा अधिकरण ऐसे नोटिस में कहेगा कि यदि वे ऐसी नियत दिनांक पर उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो दावा अधिकरण इस उपधारणा पर कि प्रतिकर अधिनिर्णय के विरुद्ध उनके पास कोई तर्क नहीं है, एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।

**10.9. Appearance and Examination of Parties.**— (1) The opposite party may, and if so required by the Claims Tribunal shall, at before the first hearing or within such time as the Claims Tribunal may permit, file a written statement dealing with the claim raised in the application, and any such written statement shall form part of the record.

(2) If the opposite party contests the claim, the Claims Tribunal, may and if no written statement has been filed, shall proceed to examine the parties upon the claim and shall reduce the result of examination to writing.

**10.10. Framing of issue.**— After considering any written statement, the evidence of the witness examined and the result of any local inspection, the Claims Tribunal shall proceed to frame a issue upon which the right decision of the case appears to it to depend.

**10.11. Determination of issues.**— After framing the issues, the Claims Tribunal shall proceed to record evidence thereon which each party may desire to produce.

**10.12. Diary.**— The Claims Tribunal shall maintain brief diary of proceedings on an application.

**10.13. Appearance of legal Practitioner.**— The Claims Tribunal may in its discretion, allow any party to appear before it through the legal practitioner.

**10.14. Local Inspection.**— (1) The Claims Tribunal may, at any time during the course of any inquiry before it, visit the site at which the accident occurred for the purpose of making a local inspection or examining any persons likely to be able to given information relevant to the proceeding.

(2) Any party to a proceeding or the representative of any such party may accompany the Claims Tribunal for a local inspection.

(3) The Claims Tribunal after making a local inspection shall note briefly in a memorandum any facts observed, and such memorandum shall form part of the record of enquiry.

(4) The memorandum referred to in sub-rule (3) shall be made available to any party to the proceedings who desires the same and shall supply any party with a copy, if applied as per rule.

**10.15. Inspection of the vehicle.**— The Claims Tribunal may, if it thinks fit, require the motor vehicles involved in the accident to be produced by the owner for inspection at a particular time and place to be mentioned by it, if necessary, in consultation with the owner.

**10.16. Power of summary Examination.**— (1) The Claims Tribunal, during a local inspection or at any other time, save at formal hearing of a case pending before it may examine summarily any person likely to be able to give information relating to such case, whether person has been or is to be called as a witness in the case or not, and whether any or all of the parties are present or not.

(2) No oath shall be administered to a person examined under sub-rule (1).

**10.17. Summoning of Witnesses.**— If an application is presented by any party to the proceeding for the summoning of witnesses, the Claims Tribunal shall, on payment of the expenses involved, if any, issue summons for the appearance of such witnesses unless it considers that their appearance is not necessary for a just decision of the case.

**10.9. पक्षकारों की उपसंजाति और परीक्षा.**— (1) प्रतिपक्षी पहली सुनवाई पर या उसके पहले या ऐसे समय के भीतर जो दावा अधिकरण द्वारा दिया जाये, आवेदन में उठाये गये दावे के साथ संव्यवहार करते हुए एक लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा, और यदि दावा अधिकरण द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो प्रस्तुत करेगा। ऐसा लिखित कथन अभिलेख का अंग बनेगा।

(2) यदि प्रतिपक्षी दावे का प्रतिरोध करता है, तो दावा अधिकरण दावे के बारे में पक्षकारों की परीक्षा कर सकेगा और यदि कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया है, तो ऐसी परीक्षा करेगा और परीक्षा का परिणाम लिखित में संक्षिप्त रूप से अंकित करेगा।

**10.10. विवाद्यक विरचित करना.**— किसी लिखित कथन, परीक्षित गवाह के साक्ष्य और किसी निरीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद, दावा अधिकरण ऐसा विवाद्यक विरचित करने की कार्यवाही करेगा, जिस पर मामले का सही निर्णय निर्भर करता है।

**10.11. विवाद्यकों का अवधारण.**— विवाद्यक विरचित करने के बाद, दावा अधिकरण उन पर साक्ष्य लेखबद्ध करेगा, जो प्रत्येक पक्षकार प्रस्तुत करना चाहे।

**10.12. डायरी.**— दावा अधिकरण आवेदन पर की गई कार्यवाही की संक्षिप्त दैनन्दिनी रखेगा।

**10.13. विधि-व्यवसायी की उपसंजाति.**— दावा अधिकरण, स्वविवेक से, किसी पक्षकार को अपने समक्ष किसी विधि-व्यवसायी के माध्यम से उपसंजात होने की अनुमति दे सकेगा।

**10.14. स्थानीय निरीक्षण.**— (1) दावा अधिकरण, अपने समक्ष किसी जांच के दौरान किसी समय पर उस स्थान पर जहां दुर्घटना हुई थी, स्थानीय निरीक्षण करने या किन्हीं व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिये, जिनके द्वारा कार्यवाही से सुसंगत सूचना दे सकने की संभावना हो, जा सकेगा।

(2) कार्यवाही का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार का कोई प्रतिनिधि स्थानीय निरीक्षण के लिये दावा अधिकरण के साथ जा सकेगा।

(3) दावा अधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने के बाद ज्ञापन में संक्षेप में अवलोकन किये गये किन्हीं तथ्यों को अंकित करेगा और ऐसा ज्ञापन जांच के अभिलेख का अंग बन जायेगा।

(4) उप-नियम (3) में वर्णित ज्ञापन कार्यवाही के किसी पक्षकार को उपलब्ध कराया जावेगा जो उसे चाहता है और किसी पक्षकार को, यदि वह नियमानुसार आवेदन करे, उसकी प्रति दी जायेगी।

**10.15. यान का निरीक्षण.**— दावा अधिकरण, यदि उचित समझे तो दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटर यान को निरीक्षण के लिये किसी विशेष समय और स्थान पर, जिसका वह उल्लेख करे, यदि आवश्यक हो तो स्वामी से परामर्श करके, स्वामी द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

**10.16. संक्षिप्त परीक्षा की शक्ति.**— (1) दावा अधिकरण उसके समक्ष विचाराधीन मामले की औपचारिक सुनवाई को छोड़कर, किसी स्थानीय निरीक्षण के दौरान या किसी अन्य समय किसी व्यक्ति की संक्षेप में परीक्षा कर सकेगा, जिसके ऐसे मामले से सम्बन्धी सूचना देने के योग्य होने की संभावना हो, चाहे वह व्यक्ति उस मामले में गवाह रहा हो या उसे गवाह के रूप में बुलाया जाना है या नहीं और चाहे कोई या सभी पक्षकार उपस्थित हों या नहीं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन परीक्षित व्यक्ति को शपथ नहीं दिलवाई जायेगी।

**10.17. गवाहों को समन करना.**— यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा गवाहों को समन करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो दावा अधिकरण, उसमें अन्तर्वलित खर्चों का भुगतान करने पर, यदि कोई हो, ऐसे गवाहों की उपसंजाति के लिये समन जारी करेगा, जब तक कि वह उनकी उपस्थिति को उस मामले के उचित निर्णय के लिये उचित नहीं समझे।

**10.18. Fees for Process.**— The fees to be taken for any process issued by the Claims Tribunal, shall be in the scale as may be determined by the Tribunal from time to time, but shall not exceed those taken for a similar process by the Rajasthan District Courts. No fee shall be charged for the process of application for compensation made under section 140.

**10.19. Method of Recording Evidence.**— The Claims Tribunal shall, as examination of witnesses proceeds, make a brief memorandum of a substance of the evidence of each witness and such memorandum shall be written and signed by the members of Claims Tribunal and shall form part of the record:

Provided that, if the member or the Chairman of the Claims Tribunal is prevented from making such memorandum, he shall record the reason of his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from his dictation and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record:

Provided further that the evidence of any medical witness shall be taken down as nearly as may be word to word.

**10.20. Adjournment of Hearing.**— If the Claims Tribunal finds that an application cannot be disposed of at one hearing, it shall record the reasons which necessitate the adjournment and also inform the parties present of the date of adjournment of hearing.

**10.21. Co-opting of persons during enquiry.**—(1) The Claims Tribunal may for the purpose of adjudicating upon any claim for compensation other than claims for compensation under Section 140 of the Act choose not more than two persons having technical or special knowledge with respect of any matter before the Claims Tribunal for the purpose of assisting the Tribunal in the holding of the enquiry.

(2) The expert shall perform such functions as the Tribunal may direct.

(3) The remuneration, if any, to be paid to the expert shall in every case be determined by the Tribunal.

**10.22. Judgment and Award of Compensation.**— (1) The Claims Tribunal in passing orders, shall record concisely in a Judgment the findings on each of the issues framed and the reasons for such findings and make an award specifying the amount of compensation to be paid by the insurers and also the person or persons to whom compensation shall be paid.

(2) Where compensation is awarded to two or more persons the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.

(3) Where any lump sum deposited with the Claims Tribunal is payable to a woman or a person under the legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of the woman on her application or such person during his disability in such manner as the Claims Tribunal may direct, and where a quarterly payments is payable to any person under the legal disability, the Tribunal, may of its own motion or on any application, made to it in this behalf, order that the payment be made during the disability of the person concerned or to any dependent of the injured or heir of the deceased or to any other person whom Tribunal thinks best fitted to provide for the welfare of the injured or the heir of the deceased.

**10.18. आदेशिका के लिये शुल्क.**— दावा अधिकरण द्वारा जारी की गई किसी आदेशिका के लिये ली जाने वाली फीस उस मापमान के अनुसार होगी जो दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर तय की जा सकेगी, परन्तु यह उससे अधिक नहीं होगी जो समान आदेशिका के लिये राजस्थान जिला न्यायालयों द्वारा ली जाती है। धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लिये किये गये आवेदन की आदेशिका पर कोई फीस नहीं ली जायेगी।

**10.19. साक्ष्य अभिलिखित करने का तरीका.**— दावा अधिकरण जैसे-जैसे गवाहों की परीक्षा होती है, प्रत्येक गवाह की साक्ष्य के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन बनवायेगा और ऐसा ज्ञापन दावा अधिकरण के सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होगा और यह अभिलेख का अंग बनेगा।

परन्तु यदि दावा अधिकरण का सदस्य या अध्यक्ष ऐसे ज्ञापन को बनाने से प्रवारित हो, तो वह ऐसा करने के लिये अपनी असमर्थता के कारण लेखबद्ध करेगा और ऐसा ज्ञापन लिखित में अपने भृतिलेख द्वारा बनवायेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का अंग बनेगा।

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय गवाह का साक्ष्य जितना संभव हो सके, शब्द से शब्द लिखा जायेगा।

**10.20. सुनवाई का स्थगन.**— यदि दावा अधिकरण यह पाता है कि किसी आवेदन को एक सुनवाई पर नहीं निपटाया जा सकता, तो वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिनसे स्थगन आवश्यक हो गया और वह उपस्थित पक्षकारों को स्थगित सुनवाई की दिनांक भी सूचित करेगा।

**10.21. जांच के दौरान व्यक्तियों का सहवरण.**— (1) दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 140 के अधीन प्रतिकर के दावों के अलावा प्रतिकर के किसी दावे का न्याय-निर्णयन करने के प्रयोजन के लिये दो व्यक्तियों से अनधिक की जांच करने में अधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिये, चयन कर सकेगा, जो दावा अधिकरण के समक्ष के किसी विषय के बारे में तकनीकी या विशेष ज्ञान रखते हों।

(2) दक्ष व्यक्ति ऐसे कार्यों का सम्पादन करेगा, जैसा अधिकरण निदेश दे।

(3) दक्ष व्यक्ति को संदेय पारिश्रमिक का, यदि कोई हो, निर्धारण प्रत्येक मामले में अधिकरण करेगा।

**10.22. निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय.**— (1) दावा अधिकरण आदेश पारित करते हुए निर्णय में संक्षेप में प्रत्येक विरचित विवाद्यक पर निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष के लिये कारणों को लेखबद्ध करेगा और अधिनिर्णय देगा जिसमें बीमाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली प्रतिकर की राशि और उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम विनिर्दिष्ट करेगा जिनको प्रतिकर का संदाय किया जायेगा।

(2) जहां प्रतिकर दो या अधिक व्यक्ति को अधिनिर्णीत किया गया हो, तो दावा अधिकरण उनमें से प्रत्येक को संदेय राशि को भी बतायेगा।

(3) जहां दावा अधिकरण के पास जमा कराई गई कोई एक मुश्त राशि किसी महिला या विधिक-निर्योग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति को संदेय है, तो उसके लाभ के लिये उस महिला के आवेदन पर या ऐसे विधिक-निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति के लिये उस प्रकार से जैसा दावा अधिकरण निदेश दे, ऐसी राशि का विनियोग, प्रयोग या अन्यथा व्यवहार किया जायेगा और जहां किसी विधिक-निर्योग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को त्रैमासिक भुगतान संदेय है, तो अधिकरण स्वेच्छा से या इस निमित्त उसको किये गये किसी आवेदन पर आदेश कर सकेगा कि निर्योग्यता के दौरान सम्बन्धित व्यक्ति को, या घायल के किसी आश्रित को या मृतक के उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे अधिकरण घायल या मृतक के वारिस के कल्याण के लिये सबसे उपयुक्त सोचता है, संदाय कर दिया जाये।



(4) Where an application made to the Claims Tribunal in this behalf or otherwise, the Tribunal is satisfied that on account of the negligence of the children on the part of the parents or on account of the variation of the circumstances of any dependent or for any other sufficient cause, an order of the Tribunal as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the

Tribunal as to the distribution of any sum paid as compensation as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested, applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the Tribunal, may make such orders for the variation of the former order as it thinks just in the circumstances of the case.

**10.23. Obtaining of information and documents necessary for awarding compensation under section 140.**— The Claims Tribunal shall obtain whatever supplementary information and documents which may be found necessary from the Police, Medical and other Authorities and proceed to award the claim where the parties who were given notice appear or not on the appointed date.

**10.24. Judgment and Award of Compensation under Section 140.**— The Claims Tribunal shall proceed to award the claim of compensation under Section 140 on the basis of—

- (i) Registration Certificate of the motor vehicle involved in the accident or a certificate regarding ownership of the vehicle involved in the accident from the Registering Authority or the Police;
- (ii) Insurance Certificate of Policy relating to the insurance of the vehicle against the Third Party risk or the certificate regarding the insurance particulars of the vehicle from the District Transport Officer or Police;
- (iii) panchnama and First Information Report;
- (iv) post mortem report or Death Certificate, or certificate of injury from the Medical Officer in Form 10.2; and
- (v) the nature of the treatment given by the Medical Officer who has examined the victim,
- (vi) any other documents produced by or on behalf of the parties or obtain in the Tribunal under rule 10.21;

(2) The Claims Tribunal in passing orders, shall make an award of compensation of twenty five thousand rupees in respect of the death and of twelve thousand rupees in respect of the permanent disablement to be paid by insurer or owner of the vehicle involved in the accident.

(3) The Claims Tribunal in passing order under sub-rule (2) shall direct the insurer or owner of the vehicle involved in the accident to pay the amount of compensation to the claimant within two weeks from the date of the said order.

(4) The Claims Tribunal shall as far as possible dispose off the application for compensation within 45 days from the date of receipt of such application.

**10.25. Procedure of disbursement of compensation under section 140.— to the Legal heirs in case of Death.**— Where the Claims Tribunal feels that the actual amount to the claimant is likely to take time because of the identification and the fixation of the legal heirs of the deceased, the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded to be deposited with the Claims Tribunal and then proceed with the identification of the legal heirs for deciding the payment compensation to each of the legal heirs.

(4) जहां दावा अधिकरण को इस निमित्त या अन्यथा आवेदन करने पर अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिभावकों की ओर से बच्चों की अपेक्षा करने के कारण या किसी आश्रित की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी राशि के वितरण के लिये या उस तरीके के लिये जिसमें किसी ऐसे आश्रित को संदेय किसी राशि का विनियोग, प्रयोग या अन्यथा व्यवहार के लिये दिया गया आदेश परिवर्तित किया जाना चाहिये, जो अधिकरण, उस मामले की परिस्थितियों में जैसा वह उचित समझे, पहले आदेश में परिवर्तन करने के लिये ऐसे आदेश कर सकेगा।

**10.23. धारा 140 के अधीन प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिये आवश्यक सूचना और दस्तावेज प्राप्त करना.**— दावा अधिकरण पुलिस, चिकित्सा और अन्य प्राधिकारियों से जो भी पूरक सूचनायें और दस्तावेज जो आवश्यक पाये जायें, प्राप्त करेगा और दावे का अधिनिर्णय देने की कार्यवाही करेगा, चाहे पक्षकार जिनको नोटिस दिये गये थे, निश्चित दिनांक पर उपस्थित हो या नहीं।

**10.24. धारा 140 के अधीन प्रतिकर का निर्णय तथा अधिनिर्णय.**— (1) धारा 140 के अधीन प्रतिकर के दावे का अधिनिर्णय देने के लिये दावा अधिकरण निम्नलिखित आधारों पर कार्यवाही करेगा:—

- (i) दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या पुलिस से दुर्घटना में अन्तर्वलित यान के स्वामित्व के बारे में प्रमाण—पत्र;
- (ii) यान के बीमा के बारे में तृतीय—पक्षकार की जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रमाण—पत्र की पालिसी या यान के बीमा की विशिष्टियों के बारे में जिला परिवहन अधिकारी या पुलिस से प्रमाण—पत्र;
- (iii) पंचनामा और प्रथम सूचना रिपोर्ट;
- (iv) अन्त्य परीक्षा रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण—पत्र या चिकित्साधिकारी से प्ररूप 10.2 में क्षति प्रमाण—पत्र;
- (v) चिकित्साधिकारी द्वारा, जिसने पीड़ित व्यक्ति की परीक्षा की है, दिये गये उपचार का स्वरूप;
- (vi) पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत या नियम 10.21 के अधीन अधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य दस्तावेज।

(2) दावा अधिकरण आदेश पारित करने में मृत्यु के बारे में रुपये पच्चीस हजार और स्थायी निःशक्तता के बारे में रुपये बारह हजार के प्रतिकर का अधिनिर्णय देगा, जिसका संदाय बीमाकर्ता या दुर्घटना में अन्तर्वलित यान के स्वामी द्वारा किया जावेगा।

(3) दावा अधिकरण उप—नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय, दुर्घटना में अन्तर्वलित यान के बीमाकर्ता या स्वामी को उक्त आदेश की दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निदेश देगा।

(4) दावा अधिकरण यथासम्भव प्रतिकर के आवेदन का ऐसे आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 45 दिनों के भीतर निपटारा करेगा।

**10.25. मृत्यु के मामले में विधिक उत्तराधिकारियों को धारा 140 के अधीन प्रतिकर के वितरण की प्रक्रिया.**— जहां दावा अधिकरण ऐसा महसूस करता है कि दावेदार को वास्तविक राशि देने में समय लगने की सम्भावना है, क्योंकि मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों का निर्धारण और पहचान होनी है, तो दावा अधिकरण अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि को दावा अधिकरण में जमा कराने के लिये मंगा सकेगा और फिर विधिक उत्तराधिकारियों की पहचान की कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक विधिक उत्तराधिकारी के लिये प्रतिकर के संदाय का विनिश्चय करेगा।

**10.26. Receipt for Compensation.**— Upon payment of compensation, a receipt shall be obtained by the Claims Tribunal and such receipt shall be forwarded to the Insurer concerned or as the case may be, the owner of the vehicles, for purpose of record.

**10.27. Power vested in Civil Court which may be exercised by Claims Tribunal.**— (1) Without prejudice to the provisions of section 169,—

(a) every Claims Tribunal, may exercise all or any of the powers vested in a Civil Court under the following provisions of the Code of Civil procedure, 1908, in so far as they may be applicable, namely:— Sections 30, 32, 34, 35, 35(a) & (c), 76, 77, 94, 95, 132, 133, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, & 153.

(b) and subject to the provisions of the section 174.

(2) For purpose other than those specified in Sub-rule (1), the Claims Tribunal may exercise all or any of the powers of Civil Court as may be necessary in any case for discharging its function under the Act and these rules.

**10.28. Procedure to be followed by Claims Tribunal in holding enquiries.**—

(1) The following provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 shall, so far as may be, applied to the proceedings before every Claims Tribunal, namely:—

(a) Sections 28, 79 and 82

(b) In the First Schedule, Order V rules 9 to 13 (both inclusive) and 15 to 30 (both inclusive), Order VI rules 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17 and 18 and Order V, II-rule 10, Order VIII, rules 2 to 5 (both inclusive), 9 & 10, Order IX, Order XI, rules 12 to 15 (both inclusive), 17 to 21 (both inclusive) and 23; Order XII, rules 1, 2, 3A, 4, 7 and 9, Order XIII, rules 3 to 10 (both inclusive) Order XIV, rules 2 and 5, Order XVI, Order XVII, Order XVIII, rules 1 to 34 (both inclusive), 10 to 20 (both inclusive) and 15 to 18 (both inclusive) Order XIX, Order XX, rules 1 to 3 (both inclusive), 8, 11 and 20, Order XXI, Order XXII, rules 1 to 7 (both inclusive), and 9; Order XXIII, rules 1 to 3 (both inclusive); Order XXIV, Order XXVII, Order XXVIII, Order XXIX, Order XXX rules 1 to 15 (both inclusive), Order XXXVII rules 1 to 10 (both inclusive), and Order XXXIX, rules 1 and 3 to 5 (both inclusive). In so far as the act and these rules make no provision or make insufficient provision, the relevant provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 shall so far as may be, apply to the proceedings before the Claims Tribunal.

**10.29. Savings.**— Notwithstanding anything contained in these rules, in the case of minor accidents and in the case of a claim under Section 140, the Claims Tribunal may follow such summary procedure as it thinks fit.

**10.30. Registrar.**— The State Government may appoint a Registrar of the Claims Tribunal, who shall be the Chief Ministerial Officer of the Tribunal and shall exercise such powers and discharge such duties of a ministerial nature as a member of the Tribunal or where the Tribunal consists of more than one member, the Chairman of the Tribunal may, from time to time by order direct.

**10.26. प्रतिकर की रसीद.**— प्रतिकर के संदाय पर, दावा अधिकरण द्वारा रसीद प्राप्त की जायेगी और ऐसी रसीद सम्बन्धित बीमाकर्ता को या यान के स्वामी को, यथास्थिति, अभिलेख के प्रयोजनार्थ अग्रेषित की जावेगी।

**10.27. सिविल न्यायालयों में निहित शक्ति, जिसका दावा अधिकरण प्रयोग कर सकेगा.**—  
(1) धारा 169 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) प्रत्येक दावा अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जहां तक वे प्रयोजनीय हो सकें, सिविल न्यायालय में निहित समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात्— धारायें— 30, 32, 34, 35 (क), 75 (क) और (ग), 76, 77, 94, 95, 132, 133, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152 और 153।

(ख) और धारा 174 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए।

(2) उप-नियम (1) में बताये गये के अलावा अन्य प्रयोजन के लिये, दावा अधिकरण सिविल न्यायालय की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कार्यों की पालना करने के लिये किसी मामले में आवश्यक हो।

**10.28. दावा अधिकरण द्वारा जांच करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.**— (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक दावा अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही पर, यथासम्भव, प्रयोग में लाये जायेंगे, अर्थात्—

(क) धारायें 28, 79 और 82

(ख) प्रथम अनुसूची में—आदेश V नियम 9 से 13, (दोनों सम्मिलित) और 15 से 30 (दोनों सम्मिलित), आदेश VI, नियम 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17 और 18 और आदेश V, II, नियम 10, आदेश VIII, नियम 2 से 5 (दोनों सम्मिलित), 9 और 10, आदेश IX, आदेश XI, नियम 12 से 15 (दोनों सम्मिलित), 17 से 21 (दोनों सम्मिलित) और 23; आदेश XII, नियम 1, 2, 3क, 4, 7 और 9, आदेश XIII, नियम 3 से 10 (दोनों सम्मिलित); आदेश XIV, नियम 2 और 5, आदेश XVI, आदेश XVII, आदेश XVIII, नियम 1 से 34 (दोनों सम्मिलित) 10 से 20 (दोनों सम्मिलित) और 15 से 18 (दोनों सम्मिलित) आदेश XIX, आदेश XX, नियम 1 से 3 (दोनों सम्मिलित), 8, 11 और 20; आदेश XXI, आदेश XXII, नियम 1 से 7 (दोनों सम्मिलित) और 9; आदेश XXIII, नियम 1 से 3 (दोनों सम्मिलित), आदेश XXIV, आदेश XXVI, नियम 1 से 8 (दोनों सम्मिलित) और 15 से 18 (दोनों सम्मिलित), आदेश XXVII, आदेश XXVIII, आदेश XXIX, आदेश XXX, नियम 1 से 15 (दोनों सम्मिलित), आदेश XXXVII, नियम 1 से 10 (दोनों सम्मिलित) और आदेश XXXIX, नियम 1 और 3 से 5 (दोनों सम्मिलित)। जहां तक अधिनियम और इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया हो, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत उपबन्ध, जहां तक संभव हो सके, दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होंगे।

**10.29. व्यावृत्ति.**— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मोटर दुर्घटनाओं के मामले में और धारा 140 के अधीन दावे के मामले में, दावा अधिकरण ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे।

**10.30. रजिस्ट्रार.**— राज्य सरकार दावा अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, जो अधिकरण का मुख्य मन्त्रालयिक अधिकारी होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे मन्त्रालयिक स्वरूप के कार्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिकरण का सदस्य या जहां अधिकरण में एक अधिक सदस्य हैं, तो अधिकरण का अध्यक्ष, समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देश दे।

**10.31. Form of Appeal and Contents of Memorandum.**— (1) Every Appeal against the award of the Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum signed by the appellant or an Advocate or attorney of the High Court or to such officer as it appoints in this behalf. This memorandum shall be accompanied by a copy of the award.

(2) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the award appealed from without any argument or narrative, and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Save as provided in sub-rule (1) and (2) the provisions of Order XXI and Order XLI in the First Schedule to the Code of Civil procedure, 1908 (V of 1908) shall mutatis mutandis apply to appeals preferred to High Court under Section 173.

**10.32. Record.**— The record of claims cases disposed off by the Claims Tribunal shall be preserved for a period of five years:

Provided further that, in cases where any award of compensation is made and the claimant does not come forward within a year of passing the award, the records shall be preserved for five years only from the date of the award and the unclaimed amount shall be transferred to the treasury.

## CHAPTER XI OFFENCES, PENALTIES & PROCEDURE

**11.1. Officers empowered to recover penalty for causing obstruction to free flow of traffic.**— Transport Officers not below the rank of <sup>1</sup>[Sub-Inspector of Motor Vehicles] and Police Officer not below the rank of Inspector are authorised to recover the penalty under section 201 of the Act.

## CHAPTER XII MISCELLANEOUS

<sup>1</sup>[12.1. Payment of fee.— The fee payable under the Act and rules made thereunder shall be payable in cash or through Challa in prescribed Form 12.1]

<sup>2</sup>[12.1A. Application fee for obtaining verification of documents.— A fee of <sup>3</sup>[Rs. 100/-] shall be charged on every application for obtaining verification of documents relating to registration, licence fitness and permit;

Provided that no such fee shall be charged if verification is required by a Government Department, Police or a court.

- 
1. Subs. by G.S.R. 82, dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 29.11.2002).
  2. Added by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
  3. Subs. by G.S.R. 56, dated 15.2.2005 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 15.2.2005). (w.e.f. 15.2.2005).

10.31. अपील का प्ररूप और ज्ञापन की अन्तर्वस्तु.— (1) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में दी जावेगी, जो अपीलार्थी द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत एडवोकेट या उच्च न्यायालय के अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उच्च न्यायालय को या ऐसे अधिकारी को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, प्रस्तुत की जायेगी। इस ज्ञापन के साथ अधिनिर्णय की एक प्रति संलग्न होगी।

(2) ज्ञापन में स्पष्ट रूप से और सुभिन्न शीर्षकों में अपीलाधीन अधिनिर्णय के प्रति आपत्ति के आधारों को, बिना किसी तर्क या वर्णन के, दिया जायेगा और आधारों को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5 आफ 1908) की प्रथम अनुसूची में XXI और आदेश XLI के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 173 के अधीन उच्च न्यायालय में की गई, अपील को लागू होंगे।

10.32. अभिलेख.— दावा अधिकरण द्वारा निपटाये गये दावों के मामलों का अभिलेख पांच वर्षों की अवधि के लिये सुरक्षित रखा जायेगा :

परन्तु ऐसे मामलों में जहां किसी महिला या विधक-निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के पक्ष में दावा अधिकरण द्वारा विनियोग किये गये है, तो अभिलेख को उस अवधि के अन्त तक के लिये सुरक्षित रखा जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां प्रतिकर का अधिनिर्णय दे दिया गया हो, पर दावेदार अधिनिर्णय देने से एक वर्ष के भीतर नहीं आता है, तो अभिलेख को अधिनिर्णय की दिनांक से केवल पांच वर्ष के लिये सुरक्षित रखा जायेगा और बाद में अदावाकृत राशि कोषागार को अन्तरित कर दी जायेगी।

## अध्याय—11

### अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

11.1. यातायात के मुक्त प्रवाह को रुकावट कारित करने के लिये शास्ति की वसूली के लिये प्राधिकृत अधिकारी.— परिवहन अधिकारी, जो <sup>1</sup>[मोटर यान उप-निरीक्षक] की श्रेणी से नीचे का न हो, और पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अधिनियम की धारा 201 के अधीन शास्ति की वसूली के लिये प्राधिकृत है।

## अध्याय—12

### विविध

<sup>1</sup>[12.1. फीस का संदाय.— इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय फीस, विहित प्ररूप 12.1 में नकद या चालान के मार्फत संदेय होगी ]]

<sup>2</sup>[12.1क. दस्तावेजों का सत्यापन अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन फीस.— रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र और परमिट सम्बन्धी दस्तावेजों का सत्यापन अभिप्राप्त करने के प्रत्येक आवेदन पर <sup>3</sup>[रु. 100/- ] की फीस प्रभारित की जायेगी;

परन्तु कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी यदि सत्यापन सरकारी विभाग, पुलिस या किसी न्यायालय द्वारा अपेक्षित है ]]

1 जी.एस.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 29.11.2002 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2 जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 4.12.2003).

3 जी.एस.आर. 56, दिनांक 15.2.2005 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 15.2.2005 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 15.2.2005).